

दिल्ली विकास प्राधिकरण

गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेश: 1501

दिनांक:- 12/11/18

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. निम्नलिखित सहायक अनुभाग अधिकारियों (सहायकों) को सहायक निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 3 (जो कि छठे वेतन आयोग में 9300-34800/- रु. के पे बैंड में 4800/- रु. के ग्रेड पे था) पदोन्नत करते हैं:-

क्रम सं. / वरियता सं.	नाम व पिता/पति का नाम सर्व/श्री	तैनाती का वर्तमान स्थान
1/1501	शिव कुमार शर्मा सुपुत्र श्री लखमी चंद शर्मा	सांस्थानिक भूमि
2/1572	अनि लाल वेदवाल सुपुत्र श्री बुद्ध राम	उद्यान खंड - 7
3/1574	धर्म पाल सुपुत्र श्री टिका राम	पी.आर.डब्लू. (भूमि प्रबंधन)
4/1577	संत राम सुपुत्र श्री छोटे लाल	विधि विभाग

2. यदि उपरोक्त अधिकारियों को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.स्कीम के अंतर्गत 9300-34800/- रु. के वेतनमान में 4800/- रु. के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के आधार पर होगा। उनके वेतन का निर्धारण एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. सहायक निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर अधिकारियों की पदोन्नति के परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारी ने उनकी तैनाती / स्थानांतरण को निम्नानुसार अनुमोदित किया है:-

क्रम सं. / वरि. सं.	नाम व पिता/पति का नाम सर्व/श्री	स्थान से	स्थान को
1/1501	शिव कुमार शर्मा सुपुत्र श्री लखमी चंद शर्मा	पदोन्नति पर	सहायक निदेशक (एन.एस.के.) के कार्यभार के साथ, कार्यकाल पूरा होने तक
2/1572	अनि लाल वेदवाल सुपुत्र श्री बुद्ध राम	पदोन्नति पर	एस.ए. एंड जी. आर.
3/1574	धर्म पाल सुपुत्र श्री टिका राम	पदोन्नति पर	भूमि प्रबंधन (रिक्त स्थान पर)
4/1577	संत राम सुपुत्र श्री छोटे लाल	पदोन्नति पर	विधि विभाग में श्रीमती शशि नेगी के स्थान पर, कार्यकाल पूरा होने तक

4. उन्हें आगे कार्यभार ग्रहण करने की सूचना की एक प्रति उप निदेशक (कार्मिक)-1 को भेजते हुए अपने संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।



(तेजपाल सिंह)

उप निदेशक (गोपनीय शाखा)

सं.-एफ.10(73)2018/सी.सी./ 1547

दिनांक:- 12-11-19

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को सूचनार्थ ।
2. प्रधान आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
3. मुख्य विधि सलाहकार, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
4. आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
5. निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 2 / सतर्कता / प्रणाली / भूमि निपटान (समन्वय) / भूमि प्रबंधन (समन्वय), दि.वि.प्रा. ।
6. उप निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 3 / सतर्कता(प्रशा.) / आरक्षण कक्ष / सांस्थानिक भूमि / भूमि निपटान (समन्वय) / भूमि प्रबंधन (समन्वय) / उद्यान खंड - 7 / एस.ए.जी.आर. / एन.एस.के. / पी.आर.डब्लू. (भूमि प्रबंधन), दि.वि.प्रा. ।
7. उप निदेशक (प्रणाली), दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डालने हेतु (About us-> Organisation-> Personnel-> Promotions 2018) ।
8. लेखाधिकारी (संस्था), राजपत्रित / अराजपत्रित-IV / सम्बंधित (सी.ए.यू.), दि.वि.प्रा. ।
9. सहायक निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 3 / पी.आई.एम.एस. / (गोपनीय कक्ष)-2, दि.वि.प्रा. ।
10. उक्त उल्लिखित अधिकारी ।
11. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल।



सहायक निदेशक (गोपनीय शाखा)